

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर  
क्रमांक:-प.1ग( )का/एसएमई/डीएलबी/19/५०५२  
-आदेश:-:

दिनांक: ८/३/२०१९

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता हैः-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री दिनेश कुमार पोटर	फायरमैन	मांगरोल	बांरा

अतः उक्त कार्मिक को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवानिवृत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
- यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/19/५०५३-५०५४ दिनांक : ८/३/२०१९

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
- सभापति/अध्यक्ष/ आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, .....
- उपनिदेशक (क्षैत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/कोटा।
- संबंधित कर्मचारी.....।
- सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)  
उप निदेशक (प्रशासन)